कार्यालय कलेक्टर देहरादून

एतदद्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के अन्तर्गत जनपद देहरादून की विभिन्न तहसीलो में स्थित भूसम्पत्तियो के मूल्यांकन हेतु दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रभावी यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 20 नवम्बर 2014 को निर्गत मूल्यांकन सूचियो की सामान्य अनुदेशिका के क्रमांक 2, 3, 4, 5, 8 में वर्णित तथ्यो के संबंध में जिलाधिकारी देहरादून के आदेश दिनाक 01.12.2014 के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1–सामान्य अनुदेशिका के क्रमांक 2, 3, 4, 5 में अंकित शब्दो "तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी" को "तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2–सामान्य अनुदेशिका के क्रमांक 8 की पंक्ति 2 में अंकित शब्दो "प्रमुख/मुख्य मार्गो पर स्थित" को "प्रमुख/मुख्य मार्गो के दोनो और 50 मीटर की दूरी के अन्तर्गत स्थित" से तथा पंक्ति 5 में अंकित शब्दो "सहस्त्रधारा रोड पर स्थित" को "सहस्त्रधारा रोड के दोनो और 50 मीटर की दूरी के अन्तर्गत स्थित" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

संख्याः 340/स्टाम्प लिपिक–मू0सू0/2014–15 दिनांकः 01 दिसम्बर 2014

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून।
2–जिला निबधंक देहरादून।
3–जिला स्टाम्प अधिकारी देहरादून।
4–सहायक महानिरीक्षक निबंधन देहरादून।
5–समस्त उप जिलाधिकारी जनपद देहरादून।
6–समस्त तहसीलदार जनपद देहरादून।
7–समस्त उप निबधंक जनपद देहरादून।

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून